श्री शंकर प्रसाद घोष (मृत)

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(1998 की आपराधिक अपील संख्या 473)

13 जून, 2008

(डा. अरिजीत पसायत और पी.सी. नाओलकर, जेजे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 394, परंतुक - अपील - अपीलार्थी की मृत्यु पर - रिश्तेदार द्वारा अपील जारी रखने की अनुमति-देरी-का प्रभाव-तथ्यों पर, दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियत के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई - अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु - प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पांच साल बाद दायर किया गया - देरी से प्रस्तुत करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया- माना गयाः अपील समाप्त हो जाएगी।

धारा 394- उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने की प्रयोज्यता - लागू अभिनिर्धारित किया गया।

अपीलकर्ता - अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था। विभिन्न हिरासत की सजाएं और जुर्माना लगाया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को पहले ही पूरी की जा चकी अवधि तक बदल दिया। हालांकि, जुर्माना राशि डिफाल्ट शर्त के साथ बरकरार रखी गई थी।

अपीलकर्ता ने अपील की अनुमति दायर की जो 20.4.1998 को मंजूर कर ली गई लेकिन कोई रोक नहीं लगाई गई। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की 15.5.2000 को मृत्यु हो गई। लगभग 5 वर्षों के बाद कथित तौर पर सीआरपीसी की धारा 394 (2) के संदर्भ में आवेदन दायर किए गए। अपील को जारी रखने के उद्देश्य से मृत अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लाना ।

एक प्रतिवादी - राज्य ने प्रस्तुत किया कि धारा 394 का उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील पर कोई अनुप्रयोग नहीं हैः कि किसी भी स्थिति में, वैधानिक रूप से निर्धारित समय 30 दिन है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता की मृत्यु की तारीख के लगभग 5 साल बाद आवेदन दायर किए गए थे और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि आवेदन इतने लंबे समय के बाद क्यों दायर किए गए थे और इसमें 30

दिन की निश्चित अवधि से अधिक किसी भी देरी को माफ करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. सीआर.पी.सी. की धारा 394 इसमें लिखा है कि प्रत्येक अपील अंततः अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। उस धारा के परंतुक में कहा गया है कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मृत्युदंड या कारावास की सजा के खिलाफ है और अपीलकर्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके किसी रिश्तेदार, जिस अभिव्यक्ति को परंतुक के साथ संलग्न स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है, अपीलकर्ता की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर अपील जारी रखने की अनुमति के लिए अपीलीय अदालत में आवेदन कर सकता है और यदि अनुमति दे दी जाती है, तो अपील समाप्त नहीं होगी। [पैरा 5] [1167-जी, 1168-ए, बी]

एस.वी. कामेश्वर राव और अन्य बनाम राज्य ए.सी.बी. पुलिस, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश **(1991) सप्लिमेंट 1 एससीसी 377-पर निर्भर।**

आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एस.नरसिम्हा कुमार और अन्य। **(2006) 5 एससीसी 683;** हरनाम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(1975) 3 एससीसी 343 - संदर्भित।**

2. सीआरपीसी की धारा 394 में सन्निहित सिद्धांत इस न्यायालय के समक्ष अपील में सेवा में लगाया जा सकता है। यह सच है कि कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन करने के लिए वैधानिक रूप से 30 दिन की अवधि तय की गई है। मौजूदा मामले में आवेदन लगभग 5 साल बाद दायर किए गए थे। देरी से प्रस्तुतिकरण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त हो गई है। [पैरा 7] [1169-जी, एच, 1170-ए, बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 473/ 1998।

पटना उच्च न्यायालय के 1984 सीआरएल की अपील संख्या 25 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 26.11.1997 से।

रंजन मुखर्जी अपीलकर्ता की ओर से।

गोपाल सिंह और मनीष कुमार प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **डा. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा** सुनाया गया।

1. शंकर प्रसाद घोष नामक व्यक्ति ने पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील दायर की। विशेष न्यायाधीश (सीबीआइ), दक्षिण बिहार, पटना ने प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड

संहिता, 1860 की धारा 409, 477ए के साथ पठित धारा 34, 467 और 471 (संक्षेप में आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया था। इसने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 4(1)(सी) और धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा 5(2) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया। विभिन्न हिरासत की सजाएं और जुर्माना लगाया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में विशेष न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की गई, जिसने अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक बदल दिया। हालांकि, जुर्माना राशि डिफाल्ट शर्त के साथ बरकरार रखी गई थी।

2. इस मामले में 20.4.1998 को अनुमति दी गई थी लेकिन कोई स्टे नहीं दिया गया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता - शंकर प्रसाद घोष की 15.5.2000 को मृत्यु हो गई। लगभग 5 वर्षों के बाद कथित तौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 394(2) के तहत मृतक अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लाने के लिये व अपील को जारी रखने के उद्देश्य से आवेदन दायर किए गए हैं। पुनर्वाद 15.3.2007 को निर्देश दिया गया कि जब अपील पर सुनवाई होगी तो आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

3. प्रतिवादी- राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदन स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। धारा 394 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू नहीं होती है। किसी भी स्थिति में, वैधानिक रूप से निर्धारित समय 30 दिन है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता - शंकर प्रसाद घोष की मृत्यु की तारीख के लगभग 5 साल बाद आवेदन दायर किए गए हैं। यहां तक कि इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आवेदन इतने लंबे समय के बाद क्यों दायर किए गए। तदनुसार, उन्होंने निवेदन किया कि 30 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक किसी भी देरी को माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

4. आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एस.नरसिम्हा कुमार और अन्य में (2006 (5) एससीसी 683), इसे इस प्रकार नोट किया गया।

> "6. बोंदादा गजपति राव बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (एफआईआर 1964 एससी 1645) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ की इस स्थिति से निपट रही थी कि क्या कारावास की सजा के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील अभियुक्त/अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। माननीय न्यायाधीशों द्वारा तीन अलग-अलग निर्णय दिए गए। उक्त निण्रय से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे इस

प्रकार हैंः (हालांकि पुराने कोड के संदर्भ में प्रतिपादित किए गए हैं, वे सीआरपीसी के तहत समान रूप से लागू हैं)।

(1) भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में संविधान) के अनुच्छेद 136 के तहत दी गई सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति के साथ दायर अपील के मामले में जब अपीलकर्ता - अभियुक्त की अपील लंबित रहने तक मृत्यु हो जाती है तो पुराने कोड की धारा 431 स्वतंत्र रूप से अपने बल से लागू नहीं होती है।

(2) लेकिन जहां अपील जुर्माने की सजा के खिलाफ है, मृत अपीलकर्ता आरोपी के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अपील जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अपीलों को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि पुरानी संहिता के तहत उत्पन्न होने पर उन्हें जारी रखा जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि उन्हें संविधान के तहत उत्पन्न होने पर भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। यदि अभियुक्त की मृत्यु के बाद पुनरीक्षण याचिकाओं को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, तो अपील भी की जानी चाहिए, क्योंकि उनके बीच निरंतरता के उद्देश्य से सिद्धांतिक रूप से कोई अंतर संभव नहीं है।

(3) जिस सिद्धांत पर किसी अभियुक्त की मृत्यु के बाद कार्यवाही की सुनवाई जारी रखी जा सकती है, वह उसके कानूनी प्रतिनिधियों के हाथों उसकी संपत्ति पर सजा का प्रभाव प्रतीत होता है। यदि सजा उस संपत्ति को प्रभावित करती है, तो कानूनी प्रतिनिधियों की कार्यवाही में रूचि होने से इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(4) लेकिन जहां सजा जुर्माने की नहीं बल्कि कारावास की है, जो अभियुक्त की मृत्यु पर निष्फल हो जाती है, सजा का मृतक - अभियुक्त की उसके कानूनी प्रतिनिधियों के हाथों की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए ऐसे मामले में अपील अभियुक्त की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी।

(5) वास्तव में, अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी था और मुकदमे के दौरान निलंबित था और यह तथ्य कि यदि दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया, तो उसकी संपत्ति, निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन प्राप्त करने की हकदार होगी, यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सजा को रद्द करने से उसके कानूनी प्रतिनिधि स्वचालित रूप से वेतन के हकदार नहीं होंगे। यह जुर्माने की सजा के मामले में लागू सिद्धांत का विस्तार होगा, यदि इसके आधार पर

अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कारावास के खिलाफ अपील जारी रखने की अनुमति दी जाती है और इस तरह के विस्तार के लिए कोई वारंट नहीं है। प्रणब कुमार मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (एआईआर 1959 एससी 144) का संदर्भ दिया गया था।"

5. एस.वी. कामेश्वर राव और अन्य बनाम राज्य (ए.सी.बी. पुलिस, करनूल जिला, आंध्रप्रदेश) (1991 पूरक 1 एससीसी 377) में इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गया:

"**5**. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 में कहा गया है कि हर अपील अंततः अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। उस धारा का परंतुक कहता है कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मृत्युदंड या कारावास की सजा के खिलाफ है और अपीलकर्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसके किसी भी रिश्तेदार, जिसकी अभिव्यक्ति इस परंतुक के साथ संलग्न स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित होती है, द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील को जारी रखने का निवेदन अपीलकर्ता की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है और यदि अनुमति दे दी जाती है तो अपील समाप्त नहीं होगी। वर्तमान मामले में, परंतुक के

स्पष्टीकरण की अवधि के भीतर मृतक के किसी भी रिश्तेदार ने अपील जारी रखने की अनुमति के लिए 30 दिनों के भीतर इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है। यह वर्तमान आवेदन लगभग 10 वर्षों की अवधि के बाद दायर किया गया है। इस आवेदन में उस निर्धारित अवधि के भीतर अदालत से संपर्क न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और 10 साल की ऐसी अनुचित और अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है। याचिका में पी.एस.आर. साधनान्थम बनाम अरुणाचलम पर भरोसा किया गया है में इस न्यायालय का एक निर्णय। जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है। (एससीसी पृष्ठ 145, पैरा 7)।

अनुच्छेद 136 एक विशेष क्षेत्राधिकार है। यह अवशिष्ट शक्ति है; यह अपने आयाम में असाधारण है, इसकी सीमा, जब यह अन्याय का पीछा करती है, तो आकाश ही है।"

6. हरमन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1975(3) एससीसी 343 पैरा 7, 14, 15) में यह पाया गया है कि:-

"**7**. हमारे समक्ष अपील संविधान के अनुच्छेद 136 तहत दी गई विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई थी और यह न तो

धारा 411-ए (2) के तहत है, न ही धारा 417 के तहत और न ही संहिता के अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत है। इसलिए स्पष्ट रूप से धारा 431 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त हो गई है, उस धारा की शर्तों द्वारा कड़ाई से शासित नहीं है। लेकिन, एकरूपता के हित में, अनुच्छेद 136 के तहत अपील पर संहिता के तहत अपील को नियंत्रित करने वाले नियमों से भिन्न नियमों को लागू करने का कोई वैध कारण नहीं है। इसलिए धारा 431 के प्रावधान का सही अर्थ और दायरा खोजना आवश्यक है।

XX XX XX

14. यदि यह धारा 431 की सही व्याख्या है, तो कोई कारण नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में दायर आपराधिक अपीलों पर भी यही सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, मृत अपीलकर्ता की विधवा, जिसे उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपील के रिकार्ड पर लाया गया है, अपील जारी रखने की हकदार है क्योंकि जुर्माने की सजा सीधे उस संपत्ति को प्रभावित करती है जो उसके पति की मृत्यु पर उसे हस्तांतरित होगी।

15. बोंदादा गजपति राव बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य में अपीलकर्ता को दंड संहिता की धारा 302 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर की लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटों और बेटी ने उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया था और तर्क दिया था कि उनके पिता की सजा के परिणामस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से हटा दिया गया था और यदि सजा रद्द कर दी गई तो संपत्ति सजा की तारीख से लेकर उनकी मृत्यु दिनांक तक वेतन की बकाया राशि का दावा करने में सक्षम होगी। इस न्यायालय ने कानूनी प्रतिनिधियों को इस आधार पर अपील जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि जिस दावे के आधार पर उन्होंने अपील जारी रखने की अनुमति मांगी थी वह बहुत दूर का था। यह निर्णय अलग है क्योंकि अपील जुर्माने की सजा से नहीं थी और कानूनी प्रतिनिधियों के हित को आकस्मिक माना गया था न कि प्रत्यक्ष। भले ही दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया हो, कानूनी

प्रतिनिधियों को अपने पिता के बकाया वेतन का स्वतः भुगतान नहीं मिलता।"

7. उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके मद्देनजर संहिता की धारा 394 में सन्निहित सिद्धांतों को इस न्यायालय के समक्ष अपील में लागू किया जा सकता है। यह सही है कि कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन करने की वैधानिक रूप से 30 दिन की निर्धारित की गयी है। मौजूदा मामले में, आवेदन लगभग 5 साल बाद दायर किए गए थे। हमें इस सवाल पर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या देरी को माफ करने की गुंजाइश है क्योंकि देरी से प्रस्तुतिकरण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मामले के दृष्टिकोण में, कामेश्वर राव के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां लागू होती हैं। अपीलकर्ता - शंकर प्रसाद घोष की मृत्यु पर अपील निरस्त कर दी गई है और तदनुसार निपटारा किया जाता है।

डी.जी. अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक, न्यायधिकारी राघवी गोविल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।